Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding payment of dues of employees of Triveni Structural Limited, Prayagaraj, Uttar Pradesh

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी (इलाहाबाद): माननीय सभापति जी, त्रिवेणी स्ट्रकचरल्स लिमिटेड (TSL) एवं भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेसर्स लिमिटेड (BPCL) दोनों ही भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन कंपनियां नैनी, प्रयागराज के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हैं जिनका परिसर भी मिला हुआ है। यहां तक कि कई बार दोनों कंपनियों के सीएमडी भी एक ही थे। भारत सरकार की पॉलिसी के अनुसार कंपनी को न चलाने एवं इसको बंद करने के निर्णय पर बीपीसीएल के लिए CCEA द्वारा अनुमति प्राप्त की गयी है, जबकि TSL के लिए कंपनी न चलने का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने कंपनी बंद करने का आदेश पारित किया, साथ ही यह भी कहा कि बंदी आदेश से VRS/VSS प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। BIFR/AAIFR मात्र सलाहकार निकाय (Advisory Body) है जिनके आधार पर मंत्रालय के अधिकारियों को CCEA द्वारा अनुमति प्राप्त करने के पश्चात अपना पक्ष उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए था जिसे पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से TSL के कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकरण की समीक्षा करते हुए निवेदन है कि TSL के कर्मचारियों को न्यायिक प्रक्रिया से अलग करके, उनके देयों का भुगतान मंत्रालय स्तर पर कराया जाए। भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा त्रिवेणी स्ट्रकचरल्स लिमिटेड (TSL) में रूचि न रखने के कारण संस्थान के कर्मचारी भुखमरी से जूझ रहे हैं, जबकि भारी उद्योग मंत्रालय की ही एक अन्य कंपनी जिसकी भौगालिक स्थिति अगल-बगल की है, पर पूर्णतया नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कर्मचारियों का पूरा भुगतान एवं पुनर्वास हेतु VRS/VSS की सुविधा दी गयी है। BPCL में कर्मचारियों की देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात कंपनी के असेट्स को बेचा जा रहा है अर्थात संपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। TSL में भी कमचारियों का भुगतान करने के पश्चात इसकी संपत्तियों को ऑफिशियल लिक्विडेटर के द्वारा बेचा जा सकता है।